मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 14 .10.2016

क्र. एफ 17-01/2016/ए-ग्यारह:: राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि मेसर्स एवगॉल इंडिया प्रा.लि. द्वारा औद्योगिक क्षेत्र मण्डीदीप, जिला रायसेन में ₹ 223.00 करोड़ के स्थाई पूंजी निवेश से नॉन वूवेन फेब्रिक्स परियोजना संबंधी प्रस्ताव पर विचारोपरांत परियोजना को निम्नानुसार सुविधाएं दी जावे-

1. **उद्योग संवर्धन नीति, 2014 अंतर्गत -**
   - (i) **वेट एवं सीएसटी पर सहायता-** 7 वर्षो हेतु 75 प्रतिशत की दर से प्लान्ट एवं मशीनरी में किये गये पूंजी निवेश की 100 प्रतिशत की सीमा तक नीति अंतर्गत गैर टेक्सटाईल इकाईयों को प्रावधानित सुविधा के समान, शर्तो के अध्याधीन दिया जावे। कुल सहायता इकाई द्वारा जमा किये गये कर से अधिक नहीं होगी।
   - (ii) **प्रवेश कर से छूट-** विशेष टेक्सटाईल पैकेज अंतर्गत प्रथम कच्चा माल क्रय दिनांक से 7 वर्षो हेतु दी जावे ।
   - (iii) **ब्याज अनुदान-** विशेष टेक्सटाईल पैकेज अंतर्गत भारत सरकार की टेक्सटाईल परियोजनाओं हेतु टफ स्कीम, (Technology Upgradation Fund Scheme) 2007 अंतर्गत अनुमोदित प्लांट एंव मशीनरी हेतु लिये गये टर्म लोन पर 5 वर्ष के लिये 5 प्रतिशत की दर से दिया जावे।
   - (iv) **विद्युत शुल्क पर छूट-** ऊर्जा विभाग की अधिसूचना दिनांक 04.03.2014 में प्रावधान अनुसार शर्तो के अध्याधीन दिया जावे।
   - (v) उद्योग नीति, 2014 अंतर्गत अन्य सभी सुविधाएं प्रचलित नियमों के अनुसार दी जावे।
2. **अन्य सुविधाएं-**
   - (I) **विद्युत टेरिफ में रियायत-** मध्यप्रदेश नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2016-17 हेतु जारी विद्युत टेरिफ आदेश में प्रावधानित उच्च दाब उपभोक्ताओं को नवीन संयोजन प्राप्त करने पर रू. 1 प्रति यूनिट अथवा 20 प्रतिशत की छूट जो भी कम हो, का लाभ शर्तो के अध्याधीन दिया जावे।
   - (II) **कौशल विकास एवं प्रशिक्षण हेतु सहायता-** तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा केन्द्र शासन की एमईएस योजना (Modular Employable Skills Scheme) के अनुसार मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना अंतर्गत पात्रता अनुसार सहायता का लाभ शर्तो के अध्याधीन दिया जावे।
3. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

निरंतर.........

4. कम्पनी की परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष में परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

13/10/16

(मोहम्मद सुलेमान)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

पृ.क्रमांक एफ 17-01/2016/ए-ग्यारह **भोपाल, दिनांक 14 .10.2016**

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग/नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग/ तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि., भोपाल।
4. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल।
5. कलेक्टर, जिला रायसेन।
6. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भोपाल) लि., भोपाल ।
7. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स एवगॉल इंडिया प्रा.लि., द्वितीय तल, बल्लार्ड हाउस, अदि मार्जबान पथ, बल्लार्ड इस्टेट, मुम्बई-110048

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

M(J)

3.11.2016

JE

3/11/16